Hon. Members, we continue to maintain gender parity in the matter of Chairpersons.

ANNOUNCEMENTS BY THE CHAIR

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, if the House so agrees, the lunch hour may be dispensed with to take up the permitted Special Mentions and the House may also sit late today to complete the listed Business in today's List of Business. Do I have the leave of the House to dispense with the lunch hour and sit late today as indicated accordingly?

HON, MEMBERS: Yes.

MR. CHAIRMAN: I am indeed grateful to the hon. Members for this extension because this enables a large number of Members to utilise the time and I have developed the practice if any Member seeks some time more, I am enabling it.

Hon. Members, a large number of Members of the House from both sides, including the hon. Minister, have expressed their deep concern over the unfortunate event, a massive landslide and loss of lives in Wayanad district of Kerala during the early hours of July 30, 2024. Precious lives have been lost and the number is still being counted. All agencies have converged to render assistance. I deem it appropriate taking into consideration the sentiments of the House to have a Calling Attention Motion on this under Rule 180 and the same shall be today at 1.00 p.m. as there will be no lunch recess hour.

REGARDING VARIOUS MATTERS RAISED IN THE HOUSE

MR. CHAIRMAN: Shri V. Vijayasai Reddy, is not here. I have received one notice under Rule 267 from Shri V. Vijayasai Reddy. Surprisingly, in spite of my directive, the notice was given yesterday while the House was in Session. All of you are aware, if the House is in Session, the matter can be raised during the House. This kind of disregard of the rules is wholly unacceptable. The notice was given at 3.16 p.m. yesterday. This indicates in what manner we are taking employment of this rule. This requires a little more attention and consideration as indicated by me earlier.

I am constrained that I cannot accord my acceptance when the irregularities are so severe. ...(Interruptions)... Please take your seat. I will go as per the list. ...(Interruptions)... I know...(Interruptions)... And, she is very experienced and she is not the only one doing it. She has done it very decorously. She has abided by the Chair and she has great experience, unlike some Members who engage into disturbance.

Now, we will take up the matters to be raised with the permission of the Chair. Shri Mahendra Bhatt to speak on demand for increasing the compensation amount for victims affected from natural disaster. ... (Interruptions)...

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़, भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने तथा भवन क्षति एवं कृषि भूमि के भूस्खलन तथा बाढ़ से क्षति होने पर...(व्यवधान)...

विपक्ष के नेता (श्री मिल्लकार्जुन खरगे): सर,...

MR. CHAIRMAN: Hon. Member, one minute...(Interruptions)... आप एक बार बैठ जाइए। मेरी बात सुनिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप हाथ उठाते हैं, लेकिन पीछे से कोरस होता है,। don't appreciate it.

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, मैं आपकी तरफ भी देखता हूं। मैं खुद ही देखता हूं।

MR. CHAIRMAN: Would you please hear me? आप एक बार बेट जाइए। I had called the hon. Member. I have, having respect for you, asked the hon. Member to take seat, but I will appeal to you that when the Leader of the Opposition raises hand, it is bound to have my utmost consideration. Why should your Members be in chorus? Sir, I plead with you. Whenever you raise hand...(Interruptions)... We will not have dialogue. Whenever you raise your hand, it will receive my highest consideration. I only look the other way round when they engage into a chorus. Kindly have some kind of direction for them. Now, the hon. Leader of the Opposition. Please state the issue that you wish to raise.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Sir, the issue is that कल मैं यहां लास्ट मूमेंट में हाउस adjourn होने से पहले नहीं था। उस वक्त एक माननीय सदस्य, घनश्याम तिवाड़ी जी ने यहां इस सदन में एक समस्या उठाई। उनके मन में क्या था, वह शायद मुझे मालूम है। पोलिटिक्स में मैं पहली जेनरेशन से हूं। मैं अकेले ही पॉलिटिक्स में आया था, मेरे पीछे पॉलिटिक्स में मेरे मां-बाप

नहीं थे, उनका देहांत हो गया था। मां के देहांत के बाद अकेले मेरे पिता जी ही बचे थे। मेरे पिता जी ने मुझे पाला, पोसा ...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Please lend your ears to the hon. Leader of the Opposition. And, I will not bear this from either side. Hon. Leader of the House, please keep them under control.

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: मैं यहां तक उनके आशीर्वाद से पहुंचा हूं। At the age of 85, वे गुज़र गए थे।

श्री सभापति : सर, मैं चाहता हूं कि आप 95 की age से भी ज्यादा जिएं।

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: मैं इस माहौल में और ज्यादा जीना नहीं चाहता। इस माहौल में मैं और ज्यादा दिन नहीं रहना चाहता। मुझे बुरा लगा कि तिवाड़ी जी ने कहा कि खरगे जी का नाम मिल्लकार्जुन है।

श्री सभापति : क्या है?

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: सर, मिल्लकार्जुन है, यह शिव का नाम है। 12 ज्योतिर्लिंग के नामों में से एक नाम मेरा रखा गया। मेरा नाम मेरे पिता जी ने सोच-समझ कर रखा था कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक नाम मेरे बेटे का है, लेकिन में अपने परिवार से अकेले ही पॉलिटिक्स में आया था, student movement में आया था, labour movement में आया, फिर कांग्रेस का ब्लॉक प्रेज़िडेंट बन कर at the age of 25 आया था।

मैं पूछना चाहता हूं कि इनको क्या दिक्कत है कि मेरे बारे में उन्होंने कहा कि उनका नाम मिल्लिकार्जुन है और शिव का नाम भी है। इनका पूरा खानदान पॉलिटिक्स में है। उन्होंने परिवारवाद के बारे में टीका-टिप्पणी की। अगर मैं परिवारवाद की बात निकालूंगा, तो बताऊंगा कि कितने यहां परिवारवाद वाले बैठे हैं, उन सबका नाम बोलूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय खरगे जी, माननीय खरगे जी...

श्री मिल्लकार्जुन खरगे: मेरी आंखों के सामने है, मेरे बाजू में है, मेरे पीछे है, सब जगह है।...(व्यवधान)... सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि उसको एक्सपंज करना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण, सदन का हर सदस्य सम्मानित है और माननीय खरगे जी का जीवन करीब छह दशक तक सार्वजनिक जीवन का है। यह मैं सदन में कई बार कह चुका हूं और इधर भी बहुत सम्मानित सदस्य हैं। कोई भी ऐसा शब्द, जो माननीय खरगे जी को आहत करता है, वह रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि उस समय मैं कुर्सी पर था। मैं इस

बारे में आपसे चर्चा करूंगा। माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी का भी सार्वजनिक जीवन काफी लंबा है। वे करीब चार दशक से राजनीति में हैं और संसदीय व्यवस्था में हैं, उनका ऐसा मानक हो सके, मैं नहीं मानता हूं, फिर भी मैं बारीकी से अध्ययन करूंगा और कोई भी ऐसी चीज़, पर मैं एक बात आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि उस समय जब हाउस में बोला गया, तब मैं चेयर पर था, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ कि आपके बारे में कुछ अपशब्द कहे गए हों। फिर भी मैं देखूंगा।

श्री जयराम रमेश: सर, ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: जयराम जी, ...(व्यवधान)... खरगे जी, आपके सदस्य कूर्सी में बैठे-बैठे डिस्टर्ब करते हैं। इतना गंभीर मामला है, यदि कोई बात खरगे जी को छू गई, उस बात का मैं बारीकी से अध्ययन ही नहीं कर पाऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि सदन, this is not a battle ground. We are not enemies of each other. हम कोई विरोधी नहीं हैं। सदन में पक्ष और प्रतिपक्ष है, अनुभवी लोगों की कमी नहीं है और मैं खुद व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और मेरे वार्तालाप में भी सदन के नेता, माननीय नड्डा जी ने आपके बारे में कितनी बातें कहीं हैं। आपका जीवन है, यह बात में कई बार बोल चुका हूं। आपकी वकालत की शुरुआत कहां हुई, जिन महानुभाव ने व्यक्तिगत रूप से चर्चा की, वे सुप्रीम कोर्ट के जज बने। जब मैं कर्णाटक गया, तो उन्होंने कहा कि आपने मेरे सामने वकालत की है। राजस्थान हाई कोर्ट में की है, सुप्रीम कोर्ट में की है। मल्लिकार्जुन खरगे जी, जो राज्य सभा और लोक सभा में रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि कुछ समय तक उन्होंने मेरे यहां शुरुआत की थी। आपको आहत करने की कोई भी सदस्य सोचे, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे भी कुछ मामलों में देखकर पीड़ा हुई थी। माननीय एच.डी.देवेगौड़ा जी ने कभी नहीं कहा, पर इनके बारे में भी जब कहा गया, मुझे बुरा लगा। तब मैं इसलिए नहीं बोला कि हाउस उद्वेलित था। माननीय एच.डी.देवेगौड़ा जी, पूर्व प्रधान मंत्री और आप उन लोगों में से हैं, जो इस हाउस को सुशोभित करते हैं, उन लोगों में से हैं, जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं गंभीरता से देखूंगा और चूंकि इसलिए मैं ज्यादा कह रहा हूं कि मुझे 1993 से 1998 तक माननीय घनश्याम तिवाड़ी जी के साथ विधान सभा का सदस्य रहने का सौभाग्य मिला है। उनके मन में यह बात नहीं आ सकती है, में कह रहा हूं, फिर भी मैं इसको बारीकी से देखूंगा। Now, Shri Mahendra Bhatt. ...(Interruptions)...

MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Demand to increase the compensation amount for the victims affected by natural disaster

श्री महेंद्र भट्ट (उत्तराखंड): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तहत बाढ़, भूस्खलन और भूकंप में हुई हानि पर आवश्यक प्रतिपूर्ति में वृद्धि करने तथा ... (व्यवधान)...